न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
श्री मेक पिता राम गुर्जर निवासी भालडीखेडा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।		श्रीमती ऊदी देवी पत्नी स्व. जमनालाल कुम्हार निवासी भादू, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा वगैरह।

प्रकरण संख्या : 23 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30 / 09 / 2022	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि उनके निगराकार एवं गैर निगराकारान द्वारा पूर्व में दिनांक 20.10.2021 को पत्रावली में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त राजीनामा के आधार पर प्रकरण को निर्णित किया जावें। उक्त राजीनामा निगराकार व गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 05 के अधिवक्ता द्वारा तस्दीक किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें उनके द्वारा अंकन किया गया है कि ग्राम पंचायत भादू द्वारा जारी पट्टा जो संकल्प संख्या 02 दिनांक 17.12.2004 ककी अनुपालना में दिनांक 21.12. 2004 को पट्टा संख्या 87 जमनालाल के नाम पर जारी किया गया है, उपराक्त पट्टे के संबंध में गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 05 को कोई जानकारी नहीं है, अभी हाल ही में उपरोक्त पट्टे के संबंध में विवाद हुआ तो पता चला कि ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार के पिता/पति के नाम पर पट्टा जारी किया गया है, जिसकी जानकारी की तो पता चला कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा राजस्थान सरकार की जमीन पर जारी कर दिया गया है, जो विधिविरूद्ध है, इस संबंध में राजस्व कर्मचारियों ने भी मौके पर रेकॉर्ड की जानकारी की है। चूंकि यह पट्टा वास्तव में विधि विरूद्ध तरीके से क्षेत्राधिकार से परे जाकर जारी किया गया है, इस कारण उपरोक्त पट्टे को जरिये राजीनामा निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 1 लगायत 5 द्वारा ग्राम पंचायत भादू, तहसील माण्डल द्वारा जारी किया गया उक्त पट्टा संख्या 87 जो वर्तमान में ग्राम पंचायत बावडी में स्थित है को निरस्त कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है प्रकरण में तहसीलदार माण्डल से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार, माण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पाया गया कि ग्राम भालडीखेडा पटवार हल्का, गेगास के आराजी संख्या 648 रकबा 6.04 बीघा किस्म बंजड एवं आराजी नंबर 650 रकबा 4.11 बीघा किस्म बंजड दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त आराजियात वर्तमान में मौके पर खाली पडी है एवं उक्त आराजी संख्या 648 एवं 650 आबादी हेतु आरक्षित है। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 05.07.2021 के आधार पर ग्राम पंचायत, भादू द्वारा उनके क्षेत्राधिकार से परे राजस्थान सरकार की आबादी हेतु आरक्षित आराजी संख्या 648 व 650 में से गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 05 के पिता/पति श्री जमना कुम्हार पुत्र मांगू कुमार निवासी भालडीखेडा को जारी विक्रय विलेख संकल्प संख्या 02 दिनांक 17.12.2004, पत्रावली संख्या 43/2003-04 व रसीद संख्या 47 दिनांक 21.12.2004 पट्टा संख्या 87 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर निगराकार की निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत, भादू, तहसील माण्डल द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.12.2004, संकल्प संख्या 02 दिनांक 17.12.2004 को अपास्त किया जाकर उक्त आदेश की पालना में श्री जमना कुम्हार पुत्र मांगू कुमार निवासी भालडीखेडा के नाम पर जारी पट्टा निरस्त/खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (आशीष मोदी) जिला कलक्टर भीलवाडा जिला कलक्टर भीलवाड़ा	